



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1161]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 29, 2014/ज्येष्ठ 8, 1936

No. 1161]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 2014/JYAISTHA 8, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 27 मई, 2014

का.आ. 1406(अ).—भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 30 अप्रैल, 2014 में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 1177(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2014 की पंक्ति 6 में “(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) दूसरा आदेश, 2014” के स्थान पर “(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2014” पढ़ा जाए।

[फा. सं. 2/6/2014-सी.एल.-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th May, 2014

S.O. 1406 (E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs S.O. 1177(E), dated the 29th April, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 30th April, 2014, in line six, for “(1) This order may be called the Companies (Removal of Difficulties) Second Order, 2014” read “(1) This order may be called the Companies (Removal of Difficulties) Order, 2014”.

[F. No. 2/6/2014-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.